

कार्यालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

क्रमांक-स्था./2026/ 181

दिनांक-29/09/2026

-: आ दे श :-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था./2026/157 दिनांक 06.08.2026 के द्वारा राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापना नियम 1986 यथासंशोधित दिनांक 14.11.2024 के भाग V के नियम 23(3) के तहत पदोन्नति समिति की रिपोर्ट दिनांकित 05.08.2026 में की गई अनुशंसा के आधार पर इस न्यायक्षेत्र के न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पदस्थ श्री दुर्गा महावर, आशुलिपिक ग्रेड-III को आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर भविष्य में होने वाली विभागीय परीक्षा पास करने की शर्त के अध्वधीन AD-HOC (तदर्थ) रूप से पदोन्नति प्रदान की गई थी।

श्री दुर्गा महावर, आशुलिपिक ग्रेड-III द्वारा आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर प्रदान की गई पदोन्नति को परित्याग (Forgo) करने का प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकार किया जाकर उनको आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर प्रदान की गई पदोन्नति को निरस्त करते हुए आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर पदावनत किया जाता है।

राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./91 जयपुर, दिनांक 04.06.2008 के नियम 10(10.3) के अनुसार कार्मिक को पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति हेतु विवर्जित किया जाता है।

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांकित 30.10.2017 का Schedule VI का नियम 16 Financial Upgradation के समय लागू होगा।

आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से किया जावे पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर

क्रमांक- स्था./2026/ 3245-3250

दिनांक- 29/09/2026

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) धौलपुर
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
3. श्री दुर्गा महावर, आशुलिपिक ग्रेड-III
4. व्यक्तिगत पत्रावली श्री दुर्गा महावर
5. सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/सम्बंधित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर